बिहार सरकार

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री

श्री [illegible]
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री

योजना दर्पण

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

ब्लॉक न० 4, प्रथम तल, पुराना सचिवालय, बिहार
पटना - 800 015
Website : www.minoritywelfare.bih.nic.in Toll Free No. : 18003456123

संपर्क

संख्या	नाम	पता	फोन नं.
1	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	ब्लॉक, नं.-4, पुराना सचिवालय परिसर, पटना-800 015	0612-2210478
2	बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग	अब्दुल कय्यूम अंसारी मेमोरियल भवन, अली इमाम पथ, पटना- 800 001	0612-2504221
3	बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड	हज भवन, 34 अली इमाम पथ, पटना-800 001	0612-2230581
4	बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड	हज भवन, 34 अली इमाम पथ, पटना-800 001	0612-2234352
5	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम	अब्दुल कय्यूम अंसारी मेमोरियल भवन, 34 अली इमाम पथ, पटना-800 001	0612-2224975
6	बिहार राज्य हज समिति	हज भवन, 34 अली इमाम पथ, पटना- 800 001	0612-2203315
7	बिहार राज्य उर्दू अकादमी	पटना कॉलेज के निकट, अशोक राज पथ पटना- 800 004	0612-2300421

बिहार सरकार

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का विवरण

क्र॰ सं॰	योजना का नाम	पृष्ठ सं॰
1.	**राज्य योजनाएँ**	
	• अल्पसंख्यक बालक/बालिका छात्रावास योजना	1
	• मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना	2
	• मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला सहायता योजना	3
	• प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग योजना	4
	• मुख्यमंत्री श्रमशक्ति कौशल विकास योजना	5
	• मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	6
2.	**नई राज्य योजनाएँ**	
	• बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना	7
	• बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना	8
	• बिहार राज्य वक़्फ़ विकास योजना	9
3.	**केन्द्रीय / केन्द्र प्रायोजित योजनाँए**	
	• केन्द्रीय अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	10
	• केन्द्रीय अल्पसंख्यक पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	11
	• केन्द्रीय अल्पसंख्यक मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना	12
	• प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना	13
4.	• आवेदन प्रारूप	14-17

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

ब्लॉक न॰ 4, प्रथम तल, पुराना सचिवालय, बिहार

पटना - 800 015

Website : www.minoritywelfare.bih.nic, Toll Free No. : 18003456123

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रथम तल, ब्लॉक–4, पुराना सचिवालय परिसर, पटना–8000015

अल्पसंख्यक बालक/बालिका छात्रावास योजना

₹ 1000

उद्देश्य

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को आधुनिक शैक्षणिक माहौल से परिपूर्ण आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जिला मुख्यालयों में बालक/बालिका छात्रावास संचालित। विभिन्न जिलों में कुल 32 (बालक–28, बालिका–4) छात्रावास संचालित।

शुल्क प्रतिछात्र :– 300/– रुपये प्रति माह। सामूहिक मेस छात्रों के अपने खर्च से।

खाद्यान्न :– 9 Kg. गेंहू + 6 Kg. चावल प्रति छात्र प्रतिमाह

अनुदान :– Rs.- 1000/– प्रति छात्र प्रतिमाह

पात्रता

छात्र/छात्राएँ अल्पसंख्यक समुदाय के हों तथा संबंधित जिलें में मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थानों में अध्ययनरत हों।

प्रक्रिया

प्रवेश हेतु अध्ययनरत शैक्षणिक संस्थान के प्राचार्य की अनुशंसा के साथ आवेदन, छात्रावास अधीक्षक अथवा जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। प्रवेश मेरिट के आधार पर।

दाखिला एक वर्ष के लिए होगा।

सम्पर्क :

आवेदन एवं अधिक जानकारी हेतु जिला मुख्यालय में अवस्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क करें।

टॉल फ्री फोन न0 :– 18003456123

वेबसाइट :–www.minoritywelfare.bih.nic.in

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रथम तल, ब्लॉक-4, पुराना सचिवालय परिसर, पटना-8000015

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना

उद्देश्य

अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों/युवतियों को रोजगार हेतु अधिकतम 5 लाख रूपया तक 5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर ऋण देना। ऋण की वापसी 5 वर्षों में 20 त्रैमासिक किस्तों में किया जाना होगा।

अर्हता/पात्रता

- आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष एवं पारिवारिक वार्षिक आय 4,00,000/–रु0 से कम हो
- सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा के कर्मी न हों

प्रक्रिया

दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के आधार पर अनिवार्य दस्तावेज के साथ आवेदन–पत्र उसी जिला अल्पसंख्यक कार्यालय में जमा करें जहाँ व्यवसाय करना चाहतें हैं। आवेदक का कागजी जाँच एवं स्थल निरीक्षण किया जाएगा।

प्राथमिकता

- पूर्व लाभार्थी जिन्होंने अपना ऋण ससमय पूर्णत: चुकता कर दिया हो, उन्हें चयन एवं स्थल जाँच प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा।
- शैक्षणिक योग्यता/कौशल विकास योजना से प्रशिक्षित/ग्रामीण क्षेत्र/महिला/ विकलांग/ परित्यक्ता/विधवा/18 से 35 वर्ष के आयु वाले/सरकार द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था/संघ/SHG के सदस्य/अनुभवी आवेदक/दुकनदार को मूल्यांकन में वरीयता दी जाएगी। संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें।

नोडल एजेंसी :– बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना (फोन न0–2215994/2204975)

वेबसाईट– www.bsmfc.org. Email-minocorpatna.gmail.com

सम्पर्क :

आवेदन एवं अधिक जानकारी हेत जिला मख्यालय में अवस्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क करें।

टॉल फ्री फोन न0 :– 18003456123

वेबसाइट :–www.minoritywelfare.bih.nic.in

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रथम तल, ब्लॉक–4, पुराना सचिवालय परिसर, पटना–8000015

मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला सहायता योजना

उद्देश्य

मुस्लिम तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु योजना

अर्हता/पात्रता

- तलाकशुदा होना/पति द्वारा 02 वर्षो से अधिक अवधि से परित्याग/पति का पूर्णत: मानसिक रूप से अपंग होना
- आवेदिका की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष एवं वार्षिक आय 4,00,000/– से कम हो

नोट :– बेवा/मोसमात महिला इस योजना के पात्र नही होंगी ।

प्रक्रिया :– आवेदिका संलग्न आवेदन प्रपत्र को भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन अपने जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करें।

जाँच के पश्चात् अनुदान राशि RTGS/DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते में सीधे अंतरण कर दी जाएगी।

सम्पर्क :

आवेदन एवं अधिक जानकारी हेतु जिला मुख्यालय में अवस्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क करें।

टॉल फ्री फोन न0 :– 18003456123

वेबसाइट :–www.minoritywelfare.bih.nic.in

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रथम तल, ब्लॉक–4, पुराना सचिवालय परिसर, पटना–8000015

प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग योजना

उद्देश्य

अल्पसख्यक समुदाय की मेधावी छात्र/छात्राओं हतु BPSC/SSC/Railway /Banking/Police(S.I./Constable)/ UGC NET-JRF/CTET/BTET आदि की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शल्क कोचिंग की सुविधा।

संचालित केन्द्र :–

- BPSC(Pre/Mains/Interview) एवं सिपाही – हज भवन, पटना
- SSC/ Banking/ Railway – मौलाना मजहरूल हक एकेडमी कैम्पस, पटना/ सी0एम0 आर्ट्स कॉलेज, दरभंगा/ अल हफीज कॉलेज, आरा/ डी.एस. कॉलेज, कटिहार/ रहमान मॉडल एकेडमी, मोतिहारी/मुस्लिम माइनोरिटी कॉलेज, भागलपुर, तौहीद एजुकेश्नल ट्रस्ट, किशनगंज।

सुविधाएँ

अनुभवी शिक्षक, सिपाही भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण, Online Test, पुस्तकालय, Career counselling , मुफ्त पुस्तकें आदि

आवेदन हेतु कागजात

आवेदन हेतु कागजात :– पहचान पत्र (आधार कार्ड/ निर्वाचन पत्र/ अध्ययनरत शैक्षणिक संस्थान का परिचय पत्र आदि), परीक्षा पात्रता संबंधित कागजात।

प्रक्रिया

चयन जाँच परीक्षा द्वारा। रुचि एवं पात्रता के अनुरूप कोचिंग केन्द्र में दाखिला।

नोडल एजेन्सी

मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, हज भवन, पटना।
Website :- mmhapu.bih.nic.in, Phone No.- 0612–2215750

सम्पर्क :

आवेदन एवं अधिक जानकारी हेतु जिला मुख्यालय में अवस्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क करें।

टॉल फ्री फोन न0 :– 18003456123
वेबसाइट :–www.minoritywelfare.bih.nic.in

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रथम तल, ब्लॉक–4, पुराना सचिवालय परिसर, पटना–8000015

मुख्यमंत्री श्रमशक्ति कौशल विकास योजना

योजना का मुख्य उद्देश्य :–

अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों/युवतियों को प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से रोजगार परक/तकनीकी व्यवसाय/ट्रेडों में कौशल विकास हेतु नि:शुल्क प्रशिक्षण।

प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान एवं कोर्सेज :–

क्र सं	संस्था का नाम	कोर्स का नाम
1	सेन्टर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांसड कम्प्यूटिंग (C-DAC), गया	PG Diploma in Advance computing, Certificate Coursing in Network security/Web Programing
2	राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) बिकोमान टावर, पटना	Web Programming, Computer Application & Financial Accounting, ITES / BPO, Computer Networking
3	सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET), हाजीपुर	Plastics Processing, Injection Moulding, Plastics Extrusion, Tools Room
4	टूल रुम एवं ट्रेनिंग सेन्टर (MSME) पाटलिपुत्रा, पटना	Advance Machining, CNC Lathe, CNC Programing, AC/Fridge Repair, Inspection and Quality Control
5	इन्स्टीच्यूट ऑफ ड्राईविंग एण्ड ट्रेफिक रिसर्च (IDTR), औरंगाबाद	Light Motor Vehicle (LMV)- Learner/Commercial High Motor Vehicle (HMV)- Learner/Commercial
6	बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) से पंजीकृत कौशल विकास केन्द्र	Unarmed Security Guard, Sewing Machine Operator, Assistant Electrician, DTP, Plumbing, Computer Operator, Beauty Therapist etc.

अर्हता/पात्रता

- आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष एवं परिवारिक वार्षिक आय 4,50,000/– से कम हो
- अधिकतर प्रशिक्षण कोर्स हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं/दसवीं पास
- महिलाओं के लिए 30% एवं नि:शक्तों के लिए 3% आरक्षण

आवेदन के साथ अनिवार्य दस्तावेज

- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र
- आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो
- आधार कार्ड की छाया प्रति, मोबाईल नं0,
- स्वंय का बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, IFSC Code एवं पासबुक की छाया प्रति।

नोडल एजेंसी:– **बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना (फोन न0–2215994/2204975)**

वेबसाईट– www.bsmfc.org. Email-minocorpatna.gmail.com

सम्पर्क :

आवेदन एवं अधिक जानकारी हेतु जिला मुख्यालय में अवस्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क करें।

टॉल फ्री फोन न0 :– 18003456123

वेबसाइट :–www.minoritywelfare.bih.nic.in

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रथम तल, ब्लॉक–4, पुराना सचिवालय परिसर, पटना–8000015

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

उद्देश्य / पात्रता

- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक/फौकानिया में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को ₹10,000/– रुपये की प्रोत्साहन राशि।
- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति /बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड से इन्टर/मौलवी में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक (मुस्लिम) छात्राओं को ₹15,000/– रुपये की प्रोत्साहन राशि।
- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण में बंग्लाभाषी छात्र/छात्राओं को ₹10,000/– रुपये की प्रोत्साहन राशि।

आवेदन हेतु कागजात

- अंक प्रमाण पत्र की छाया प्रति
- बैंक पासबुक की छाया प्रति, बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC Code
- आधार कार्ड की छाया प्रति
- फोन न0/मोबाईल न0

प्रक्रिया

- विद्यार्थी कागज़ात के साथ आवेदन को संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित करायेंगे। सत्यापन के पश्चात् संबंधित जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में आवेदन जमा करेंगे।

सम्पर्क :

आवेदन एवं अधिक जानकारी हेतु जिला मुख्यालय में अवस्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क करें।

टॉल फ्री फोन न0 :– 18003456123

वेबसाइट :–www.minoritywelfare.bih.nic.in

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रथम तल, ब्लॉक–4, पुराना सचिवालय परिसर, पटना–8000015

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना

उद्देश्य

- अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावन विद्यार्थियों को चयनित कर उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रयास कर उन्हें मानसिक, शारीरिक, समाजिक एवं भावनात्मक रूप से सक्षम बनाना।
- विद्यालय में नवीं कक्षा से बारहवीं तक की पढाई की उत्तम व्यवस्था के साथ–साथ मुफ्त वस्त्र, रोजमर्रा की सामग्री आदि उपलब्ध कराई जाएगी।
- विद्यालय सह–शिक्षा प्रणाली (Co-education system) पर आधारित होगा।
- विद्यालय में 50% सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित होगी। बालक और बालिका दोनों वर्गों में 75% ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेगा।
- विद्यालय में विशेष कोचिंग/व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।

विद्यालय निर्माण हेतु शर्तें :

1. आवासीय विद्यालय के स्थापना हेतु भूमि का आकार कम से कम 3 एकड़ होना चाहिए।
2. यह भूमि समान्यत: सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। वक्फ, मदरसा, ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा अन्य द्वारा दानित अथवा लीज पर दी गयी भूमि का भी प्रयोग विद्यालय स्थापना हेतु किया जा सकता है। किन्तु विद्यालय निर्माण हेतु भूमि कम से कम 30 वर्षो के लीज पर उपलब्ध करायी जाएगी।
3. वक्फ एवं मदरसा द्वारा दी गयी भूमि को सरकार के नाम से हस्तांतरित करने की बाध्यता नहीं होगी।
4. भूमि दानकर्ता/लीजकर्ता वक्फ, मदरसा, ट्रस्ट, सोसाइटी आदि को जिला संचालन समिति एवं विद्यालय प्रबंधन समिति में सहभागिता दी जाएगी एवं विद्यालय का नामाकरण उनकी अनुशंसा पर किया जाएगा।

सम्पर्क :

आवेदन एवं अधिक जानकारी हेतु जिला मुख्यालय में अवस्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क करें।

टॉल फ्री फोन न0 :– 18003456123

वेबसाइट :–www.minoritywelfare.bih.nic.in

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रथम तल, ब्लॉक-4, पुराना सचिवालय परिसर, पटना-8000015

बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकारण योजना

उद्देश्य

- बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों एवं अन्य सरकारी मदरसों में मूलभूत सुविधाएँ एवं आधारभूत संरचनाएँ उपलब्ध कराये जाने एवं शैक्षणिक सुधार हेतु
- मदरसों में भवन, कार्यालय कक्ष, बहुउद्देशीय हॉल, छात्रावास, वोकेशनल प्रशिक्षण हेतु हॉल, कम्प्यूटर/विज्ञान लैब, अतिरिक्त वर्गकक्ष, पुस्तकालय, रसोई घर, मेस, शौचालय आदि का निर्माण, भवनों का जीर्णोद्धार, स्वच्छ पेयजल हेतु बोरिंग, पम्प तथा टंकी सहित नल, बिजली, सौर ऊर्जा संयंत्र आदि का अधिष्ठापन।
- योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा अनुदानित मदरसों एवं अन्य सरकारी मदरसों में किया जायेगा ।

योजना हेतु मदरसों का चयनः

1. सम्बंधित मदरसा प्रबंध समिति के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों में किसी अनुशासनिक कार्रवाई के आलोक में समिति दोषी नहीं पायी गई हो ।
2. योजना हेतु मदरसों के नाम से पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो ।
3. संबंधित मदरसे में 70 विद्यार्थियों से अधिक का नामांकन हो ।
4. संबंधित मदरसे की प्रस्वीकृति कम से कम दो वर्षों से अधिक की हो ।

सम्पर्क :

आवेदन एवं अधिक जानकारी हेतु जिला मुख्यालय में अवस्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क करें।

टॉल फ्री फोन न० : — 18003456123

वेबसाइट :—www.minoritywelfare.bih.nic.in

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रथम तल, ब्लॉक–4, पुराना सचिवालय परिसर, पटना–8000015

बिहार राज्य वक्फ विकास योजना

उद्देश्य

बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड से निबंधित औकाफ के विकास हेतु आय–सृजक एवं जन उपयोगी संरचनाएं जैसे– बहुद्देशीय भवन, मुसाफिरखाना, विवाह भवन, वक़्फ़ कार्यालय भवन, व्यवसायिक भवन, दुकान, मार्केट कॉम्प्लेक्स आदि के निर्माण के लिए रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में अनुदान देना एवं रख–रखाव, सुरक्षा तथा संवर्धन कराना।

वक्फ इस्टेट की चयन की शर्तें :

1. वक्फ इस्टेट के वर्तमान मोतवल्ली/प्रबंध समिति को विगत तीन वर्षों में को अनुशासनात्मक कार्रवाई में दोषी नहीं पाया गया हो।
2. योजना हेतु पर्याप्त विकास योग्य भूमि उपलब्ध हो।
3. वक्फ इस्टेट के विगत तीन वित्तीय वर्ष के आय–व्यय का अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया गया हो।
4. सम्बंधित वक्फ इस्टेट द्वारा विगत तीन वर्ष का वक्फ अधिनियम के तहत रिटर्न फाईल किया गया हो एवं कोई भी देय शेष बकाया नहीं हो।

सम्पर्क :

आवेदन एवं अधिक जानकारी हेतु जिला मुख्यालय में अवस्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क करें।

टॉल फ्री फोन न0 :– 18003456123

वेबसाइट :–www.minoritywelfare.bih.nic.in

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रथम तल, ब्लॉक–4, पुराना सचिवालय परिसर, पटना–8000015

केन्द्रीय अल्पसंख्यक प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति

- मान्यता प्राप्त स्कूल/ मदरसों के कक्षा 1 से 10 तक के छात्र/छात्राओं हेतु।
- प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क एवं अनुरक्षण भत्ता के अनुरूप ₹ 1000/– से ₹ 10,000/– तक छात्रवृत्ति राशि देय।
- पारिवारिक आय अधिकतम 1 लाख रुपये।

पात्रताः–

- गत परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम प्राप्तांक न हो।
- एक परिवार के दो से अधिक बच्चों को यह छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।
- 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए आरक्षित है।

प्रक्रियाः–

- छात्र/छात्रा वेबसाईट www.scholarships.gov.in एवं **National Scholarships Portal** पर ऑनलाईन आवेदन करेंगे। सत्यापन हेतु शिक्षण संस्थान भी **Portal** पर पंजीकृत होंगे।
- विस्तृत जानकारी हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के वेबसाईट **www.minorityaffairs.gov.in** पर देखा जा सकता है।

सम्पर्क :

आवेदन एवं अधिक जानकारी हेतु जिला मुख्यालय में अवस्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क करें।

टॉल फ्री फोन न0 :– 18003456123

वेबसाइट :–www.minoritywelfare.bih.nic.in

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रथम तल, ब्लॉक-4, पुराना सचिवालय परिसर, पटना-8000015

केन्द्रीय अल्पसंख्यक पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

- इन्टरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, एम. फील, एवं पी.एच.डी. आदि के स्तर हेतु
- प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क एवं अनुरक्षण भत्ता के अनुरूप ₹ 2300/- से ₹ 15000/- तक छात्रवृत्ति राशि देय।
- पारिवारिक आय अधिकतम 2 लाख रुपये ।

पात्रताः-

- गत परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम प्राप्तांक न हो ।
- एक परिवार के दो से अधिक बच्चों को यह छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी ।
- 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए आरक्षित है ।

प्रक्रियाः-

- छात्र/छात्रा वेबसाईट www.scholarships.gov.in एवं **National Scholarships Portal** पर ऑनलाईन आवेदन करेंगे। सत्यापन हेतु शिक्षण संस्थान भी **Portal** पर पंजीकृत होंगे।
- विस्तृत जानकारी हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के वेबसाईट **www.minorityaffairs.gov.in** पर देखा जा सकता है।

राज्य की पोस्ट मैट्रिक (वंचित) छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से सभी योग्य अभ्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा रही है

सम्पर्क :

आवेदन एवं अधिक जानकारी हेतु जिला मुख्यालय में अवस्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क करें।

टॉल फ्री फोन न0 :- 18003456123

वेबसाइट :-www.minoritywelfare.bih.nic.in

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रथम तल, ब्लॉक–4, पुराना सचिवालय परिसर, पटना–8000015

केन्द्रीय अल्पसंख्यक मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति

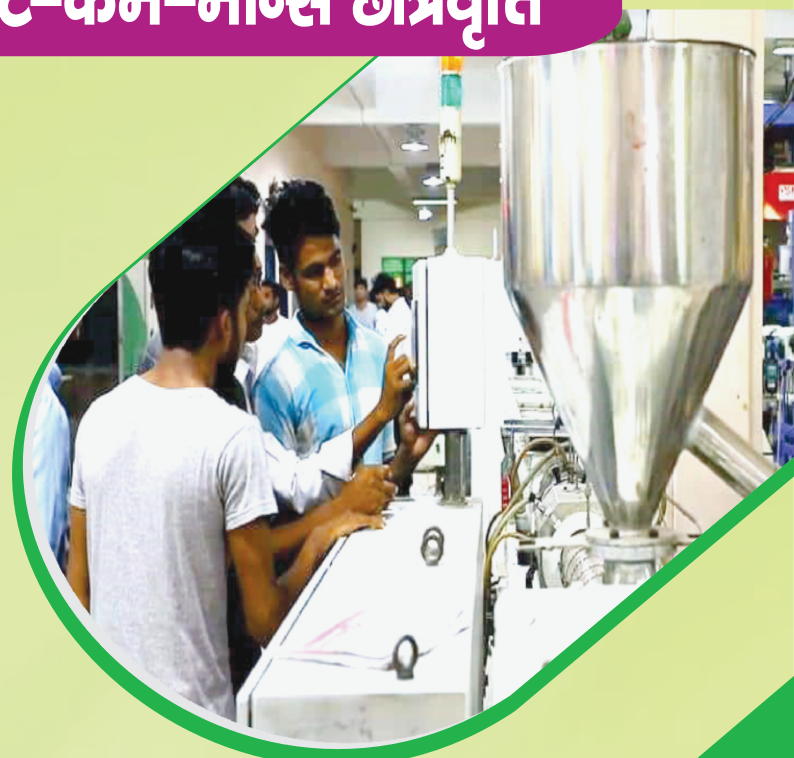

- तकनीकी एवं व्यवसायिक कोर्सों हेतु
- प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क एवं अनुरक्षण भत्ता के अनुरूप ₹ 25000/–से ₹ 30000 छात्रवृत्ति राशि देय है।
- सूचीबद्ध 85 व्यवसायिक एव तकनीकी संस्थानों की संपूर्ण शुल्क राशि देय पारिवारिक आय अधिकत्तम 2.5 लाख रुपये।

पात्रताः–

- गत परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम प्राप्तांक न हो।
- एक परिवार के दो से अधिक बच्चों को यह छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।
- 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए आरक्षित है।

प्रक्रियाः–

- छात्र/छात्रा वेबसाईट www.scholarships.gov.in एवं **National Scholarships Portal** पर ऑनलाईन आवेदन करेंगे। सत्यापन हेतु शिक्षण संस्थान भी **Portal** पर पंजीकृत होंगे।
- विस्तृत जानकारी हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के वेबसाईट **www.minorityaffairs.gov.in** पर देखा जा सकता है।

सम्पर्क :

आवेदन एवं अधिक जानकारी हेतु जिला मुख्यालय में अवस्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क करें।

टॉल फ्री फोन न० : – 18003456123

वेबसाइट :–www.minoritywelfare.bih.nic.in

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रथम तल, ब्लॉक-4, पुराना सचिवालय परिसर, पटना-8000015

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य प्रखंड एवं नगर क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास आदि से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

योजना के मुख्य उपलब्धियाँ

- समाजिक एवं आर्थिक सुविधायें उपलब्ध कराना
- राष्ट्रीय एवरेज गैप को कम करना
- अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए संसाधनों का उपयोग करना
- पोटेंशियल एरिया को पहचानना
- योजना का फैलाव

सम्पर्क :

आवेदन एवं अधिक जानकारी हेतु जिला मुख्यालय में अवस्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क करें।

टॉल फ्री फोन न0 :– 18003456123

वेबसाइट :–www.minoritywelfare.bih.nic.in

बिहार सरकार अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय
4 ब्लॉक, पुराना सचिवालय, बिहार, पटना

बिहार राज्य वक्फ विकास योजना आवेदन का विहित प्रपत्र प्रारूप

आवेदन क्रमांक (कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)....................आवेदन प्राप्ति की तिथि...................................

1. निबंधन :—शिया वक्फ अथवा सुन्नी वक्फ सम्पत्ति ....
2. वक्फ स्टेट का नाम एवं संख्या...
3. वक्फ का प्रकार (फिसबिल्लिाह/वक्फ—अल—अल—औलाद)..
4. वक्फ स्टेट का पताः— ग्राम/मोहल्ला/वार्ड—...
   पो0......................थाना...................प्रखण्ड.......................जिला.....................पिन कोड......................................
5. फोन नं0—... 6. ई—मेल आई—डी, (यदि हो तो)—...
7. (क) वक्फ स्टेट का पंजीकरण वर्ष :—...................... (ख) बिहार राज्य सुन्नी/शिया वक्फ बोर्ड का पंजीकरण संख्या—.. (ग) पंजीकरण वर्ष—..
8. वक्फ स्टेट का विगत दो वर्षों का आय—व्यय :—

	आय	व्यय
वर्ष—1		
वर्ष— 2		

9. वक्फ बोर्ड के सीधे नियंत्रण में— हाँ/ना, अगर हाँ तो सीधे नियंत्रण की तिथि ....
10. मुतवल्ली का नाम.. मोबाईल नं0..
    ईमेल ....
11. वक्फ स्टेट के प्रबंध समिति के सचिव का नाम—...
    पता—...
    मोबाईल नं0—.. ई—मेल आई.डी...
12. वर्तमान प्रबंध समिति का कार्यकाल :—गठन तिथि...................................से ....तक

वक्फ प्रबंध समिति के सचिव/मुतवल्ली
(नाम एवं मोहर)

आवेदन प्राप्ति रसीद
(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

आवेदन क्रमांक..................................वक्फ स्टेट का नाम..
शिया अवथा सुन्नी वक्फ सम्पत्ति...
पता :—..
से बिहार राज्य वक्फ विकास योजना हेतु आवेदन प्राप्त किया।

तिथि :..

स्थान :..

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम)

बिहार सरकार अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि०, पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)
34, अली इमाम पथ (हार्डिंग रोड), पटना – 800 001
Email :minocorpatna@gmail.com, Website : www.bsmfc.org
Ph : 0612-2204975, Telefax : 0612-2215994

के माध्यम से संचालित

राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋृण

आवेदन पत्र 2017-18

आवेदन का स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन आई०डी०सं०– ________ **जिला का नाम** ________

1. आवेदन का नाम ________
2. पिता/पति का नाम ________
3. आधार संख्या (स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) ________
4. लिगं : महिला / पुरूष – ________ 5. जन्म तिथि– ________ 6. आयु (31.05.2018 तक) ________
7. मोबाईल नम्बर – ________ 8. ई–मेल आई०डी० : – ________
9. स्थाई पता : मकान सं० ________ ग्राम/मोहल्ला ________
   पंचायत/वार्ड संख्या ________ डाकघर ________ प्रखण्ड ________ थाना ________ जिला ________ पिन कोड ________
10. वर्तमान पता: मकान सं० ________ ग्राम/मोहल्ला ________
   पंचायत/वार्ड संख्या ________ डाकघर ________ प्रखण्ड ________ थाना ________ जिला ________ पिन कोड ________
11. व्यवसाय/दुकान का पता: ________ मकान सं० ________ ग्राम/मोहल्ला ________
   पंचायत/वार्ड संख्या ________ डाकघर ________ प्रखण्ड ________ थाना ________ जिला ________ पिन कोड ________
   योजना स्थान का क्षेत्र – नगर निगम/नगर परिषद / नगर पंचायत / ग्रामीण : ________
12. धर्म ________ (मुस्लिम को छोड़कर, अन्य अल्पसंख्यकों हेतु उनके धर्म सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित धर्मावलम्बी संस्थानों (Monasteries) द्वारा निर्गत हो)
13. शैक्षणिक योग्यता का विवरण ________
14. वर्तमान पेशा ________
15. (क) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजना से प्रशिक्षित अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से तकनीकी / व्यवसायिक शिक्षा का विवरण (स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) ________
   (ख) प्रशिक्षण अवधि 3–5 माह, 6–12 माह या 1 वर्ष से अधिक का कोर्स ________
16. दिव्यांग / परित्यक्ता / विधवा ________ (प्रमाण–पत्र / सत्यापित प्रति की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
17. परिवार की सकल वार्षिक आय ________ (आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)।
18. (क) प्रस्तावित योजना का नाम ________ (ख) योजना पर कुल लाग ________ (ग) ऋृण राशि की आवश्यकता/माँग ________
19. सरकार द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था / संध / SHG के सदस्य – ________
20. व्यवसाय की कार्य योजना / पुर्व अनुभव रखने वाले आवेदक/दुकान ________
   व्यवसाय का पंजीकरण / आय–व्यय के ब्यौरे का संधारण एवं अंकेक्षण ________
21. क्या इसके पहले किसी बैंक या एजेन्सी या सहकारी बैंक या इस निगम या किसी वित्तीय संस्थान से ऋृण प्राप्त किया है, जिसका कोई अंश वापसी के लिए बाकी है। यादि हाँ, तो संस्था एवं बकाया राशि का विवरणी दें : ________
22. आवेदन के आधार लिंक बैक खाता की विवरणी :
   बैंक का नाम एवं शाखा : ________ खाता संख्या : ________ IFSC कोड : ________

स्थान :

तिथि : **आवेदक का हस्ताक्षर**

नोट 1. आय एवं आवासीय प्रमाण – पत्र सक्षम प्रधिकार तथा अनुमण्डल प्रभारी या प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्म तिथि, धर्म (मुस्लिम को छोड़कर), शैक्षणिक योग्यता प्रमाण –पत्र, विकलांग/परित्यक्ता/विधवा, सरकार द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था /SHG/संध, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजना से प्रशिक्षित अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से तकनीकी/व्यसायिक शिक्षा के विवरण की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

2. वाहन क्रय हेतु ऋृण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति तथा दवा दुकान हेतु ऋृण के लिए ड्रग लाहसेंस की प्रति संलग्न करें।

आवेदन प्राप्ति रसीद

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

जिला आई०डी०सं० ________ नाम : ________ पिता का नाम : ________
पता : ________ से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋृण योजनान्तर्गत ऋृण हेतु आवेदन प्राप्त किया।

समय : **प्राप्कर्ता का हस्ताक्षर**

तिथि : **(नाम/पदनाम)**

बिहार सरकार अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय
4 ब्लॉक, पुराना सचिवालय, बिहार, पटना

बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना आवेदन का विहित प्रपत्र प्रारूप

आवेदन क्रमांक (कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)......................आवेदन प्राप्ति की तिथि...

1. मदरसा का नामः...
2. स्तरः वस्तानिया / फोकानिया / मौलवी / आलिम / फाज़िल...
3. मदरसा का पताः ग्राम / मोहल्ला / वार्ड–...............................पो0......................थाना...............................प्रखण्ड.................... जिला......................पिन कोड...4. फोन नं0...
5. ई–मेल आई–डी, (यदि हो तो)–...
6. (क) मदरसा का स्थापना वर्ष :–...(ख) बिहार राज्य मदरसा बोर्ड की अंगिभूत / प्रस्वीकृति संख्या–..................................... (ग) अंगिभूत / प्रस्वीकृत वर्ष–..
7. मदरसे के स्टॉफ की संख्या–.(क) शैक्षणिक.. (ख) अशैक्षणिक..
8. वर्त्तमान सत्र (साल :–...) में अध्ययनरत कुल विद्यार्थियों की संख्या–...
9. विगत दो वर्षो में विभिन्न शैक्षणिक स्तरों में बिहार मदरसा बोर्ड की परीक्षा में भाग लेने / प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण

विद्यार्थियों की विवरणीः–

स्तर	वर्ष–		वर्ष–		अभियुक्ति
	उपस्थित विद्यार्थी	प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण	उपस्थित विद्यार्थी	प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण	
वस्तानिया					
फोकानिया					
मौलवी या उच्चतर					

10 मदरसे का विगत दो वर्षों का आय–व्यय :–

	आय	व्यय
वर्ष–1		
वर्ष– 2		

11. मदरसे की जमीन की विवरणी : खाता...................................खेसरा ....रकवा.......................................
12. हेड मौलवी / प्राचार्यः– नाम.. मोबाईल नं0..ईमेल..
13. मदरसा प्रबंध समिति के सचिव का नाम–.. पता–... मोबाईल नं0–.. ई–मेल.आई.डी...
14. वर्तमान प्रबंध समिति का कार्यकाल : गठन तिथि...से ....तक

मदरसा प्रबंध समिति के सचिव
(नाम एवं मोहर)

आवेदन प्राप्ति रसीद

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

आवेदन क्रमांक...........................मदरसा का नाम...
पता :–...
से बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना हेतु आवेदन प्राप्त किया।

तिथि : ....
स्थान : ....

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
(नाम / पदनाम)

बिहार सरकार अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय
4 ब्लॉक, पुराना सचिवालय, बिहार, पटना।

मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना

आवेदन पत्र

स्वप्रमाणित रंगीन फोटो

आवेदन क्रमांक (कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)..

1. आवेदिका का नाम .... (साफ अक्षरों में)
   मोबाईल सं० ....
2. पताः ग्राम / मोहल्ला / वार्डः–..
   पो०......................, थाना.......................... प्रखण्ड...........................जिला.................................,पिन कोड.................................
3. परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला की जिस व्यक्ति से शादी हुई थी उसका नाम एवं पता / अपंगता के कारण परित्यक्ता महिला के पति का नाम एवं पता..
   (यदि पति के पूर्ण मानसिक अपंगता के कारण महिला परित्यक्ता है तो इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित जिला के सिविल सर्जन से निर्गत संलग्न करें)।..
4. परित्यक्ता / तलाकशुदा के पिता / माता नाम एवं पता..
5. जन्म तिथि.. 6. परित्यक्ता / तलाकशुदा होने की तिथि..
7. आयु आवेदन की तिथि से.. वर्ष,.. महिना.....................................दिन
8. परित्यक्ता / तलाकशुदा महिला की बैंक खाता विवरणी :– बैंक का नाम..
   खाता संख्या (स्वयं का) ....आई०एफ०एस०सी०संख्या..
9. आधार संख्या.. 10. वार्षिक आयः–..

: स्व–घोषणा :

मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई सभी जानकारी सही है। मैंने आज तक दूसरी शादी नहीं की है। इस योजना अन्तर्गत मुझे पूर्व में राशि प्राप्त नहीं हुई है।

1. पहले गवाह का नाम (जो सगा रिश्तेदार न हो)..
   पता...मोबाईल नं०..
2. दूसरे गवाह का नाम (जो सगा रिश्तेदार न हो) ....
   पता...मोबाईल नं०............................... स्थान.......................... दिनांक..........................

(आवेदिका का हस्ताक्षर / अंगूठा का निशान)

(अंगूठा निशान की स्थिति में, प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले आधिकारी / जनप्रतिनिधि, द्वारा अभिप्रमाणित होगा)

आवेदन प्राप्ति रसीद

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

आवेदन क्रमांक.........................नाम..

पिता का नाम..पता :–..

मुस्लिम परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाओं हेतु आवेदन प्राप्त किया।

तिथि : ....
स्थान : ....

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
(नाम / पदनाम)